# नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको
# आर्थिक ऐन, २०८०

**नगरसभाबाट स्वीकृत मितिः २०८०।०३।२३गते**

**प्रस्तावनाः**

नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने, जरिवाना तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८०" रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा २०८० श्रावण १ गतेदेखिलागू हुनेछ ।

२. **सम्पति करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाक्षेत्रभित्र अनुसूचि –१ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत):**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि –२ बमोजिम भूमि कर (मालपोत) को बक्यौता रकम असूल उपर गरिनेछ ।तर,उपदफा २ बमोजिम २०७६ श्रावण १ गतेदेखि सवै वडाहरुमा सम्पत्तीकर लागू भईसकेको हुदाँ सम्पत्तीकर सँग दोहोरो हुने गरी भूमिकर (मालपोत) संकलन नगरिने र बक्यौता मालपोत रकम मात्र असुलउपर गरिनेछ।

४. **घरजग्गावहाल करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि –३ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि –४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि–५ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने साना सवारी साधनमा अनुसूचि –६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिकाक्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि –७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।तर, लुम्बिनी प्रदेशको कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरन्जन करः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसायकार्यक्रम र सेवामा अनुसूचि –८ बमोजिम मनोरन्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, लुम्बिनी प्रदेशको कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि –९ मा उल्लेख भए अनुसार का जग्गा, घर, भवन, हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **पार्किङ शुल्कः**नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बिभिन्न सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि –१० बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२. **ट्रेकिङ्गर बोटिङ शुल्कः**नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्गबोटिङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे गराय वापतअनुसूचि–११ बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

१३. **सेवा शुल्क, दस्तुरः**नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि –१२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क,दस्तुरलगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. **पर्यटनशुल्कः**नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची –१३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईअसुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१५. यस आर्थिक ऐन र अनुसूचिमा उल्लेख नभएका वा नसमेटिएका र अन्य बिषयमा नगरकार्यपालिकालेआगामी नगरसभाबाट पारित गराउने गरि औचित्य र आवश्यकता हेरी प्रचलित कानुन विपरित नहुने गरी स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको सिफारिशमा स्थानीय कर,शुल्क, दस्तुर लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ।

१६. नेपालगंज उपमहानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाबाट यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि अनुसूची –१४ मा उल्लेख भएका नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

१७. **कर छुटः**यस ऐन बमोजिमको प्रावधानमा उल्लेख भएवमोजिम करछुट दिएकोमा बाहेक करतिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कानुनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनैपनि किसिमको करछुट दिईनेछैन।

१८. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः**यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नेपालगंज उपमहानगरपालिका,नगरकार्यपालिकाले तोकेअनुसार हुनेछ ।

१९. **खारेजी र बचाउ** : १) यो ऐन लागू हुने मिति २०८० श्रावण १ गतेदेखि यस उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ खारेज हुनेछ।
२) उपदफा १ मा उल्लेखित ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

## अनुसूची १

**सम्पत्ति करको दर :**

| कर योग्य सम्पति कर | वार्षिक लाग्ने कर (आ.व.२०७९।८०) | वार्षिक लाग्ने कर (आ.व.२०८०।८१) |
|---|---|---|
| **१० लाख सम्म** | | |
| २ लाख सम्म | २१।०० | २१।०० |
| २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ८५।०० | ८५।०० |
| ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १७०।०० | १७०।०० |
| **१० लाख १ देखि ५० लाख सम्म** | | |
| १० लाख १ देखि १२ लाख सम्म | २१३।०० | २१३।०० |
| १२ लाख १देखि १४ लाख सम्म | २३४।०० | २३४।०० |
| १४ लाख १ देखि १६ लाख सम्म | २५५।०० | २५५।०० |
| १६ लाख १ देखि १८ लाख सम्म | २९८।०० | २९८।०० |

| | | |
|---|---|---|
| १८ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३४०।०० | ३४०।०० |
| २० लाख १ देखि २२ लाख सम्म | ४२५।०० | ४२५।०० |
| २२ लाख १ देखि २४ लाख सम्म | ५१०।०० | ५१०।०० |
| २४ लाख १ देखि २६ लाख सम्म | ५९५।०० | ५९५।०० |
| २६ लाख १ देखि २८ लाख सम्म | ७२३।०० | ७२३।०० |
| २८ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | ८५०।०० | ८५०।०० |
| ३० लाख १ देखि ३४ लाख सम्म | १०२०।०० | १०२०।०० |
| ३४ लाख १ देखि ३८ लाख सम्म | १३६०।०० | १३६०।०० |
| ३८ लाख १ देखि ४२ लाख सम्म | १७००।०० | १७००।०० |
| ४२ लाख १ देखि ४६ लाख सम्म | २१२५।०० | २१२५।०० |
| ४६ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २५५०।०० | २५५०।०० |
| **५० लाख १देखि १ करोड सम्म** | | |
| ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | २९७५।०० | २९७५।०० |
| ६० लाख १ देखि ७० लाख सम्म | ३८२५।०० | ३८२५।०० |
| ७० लाख १ देखि ८० लाख सम्म | ४६७५।०० | ४६७५।०० |
| ८० लाख १ देखि ९० लाख सम्म | ५५२५।०० | ५५२५।०० |
| ९० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ६३७५।०० | ६३७५।०० |
| **१ करोड १ देखि २ करोड सम्म** | | |
| १ करोड देखि १करोड २० लाख सम्म | ७६५०।०० | ७६५०।०० |
| १ करोड २० लाख १ देखि १करोड ४० लाख सम्म | ८९२५।०० | ८९२५।०० |
| १ करोड ४० लाख १ देखि १करोड ६० लाख सम्म | १०२००।०० | १०२००।०० |
| १ करोड ६० लाख १ देखि १करोड ८० लाख सम्म | ११४७५।०० | ११४७५।०० |
| १ करोड ८० लाख १ देखि २ करोडसम्म | १२७५०।०० | १२७५०।०० |
| **२ करोड १ देखि ५ करोड सम्म** | | |
| २ करोड देखि २ करोड ५० लाखसम्म | १५३००।०० | १५३००।०० |
| २ करोड ५० लाख १ देखि ३ करोडसम्म | १७८५०।०० | १७८५०।०० |
| ३ करोड १ देखि ३ करोड ५० लाखसम्म | २०४००।०० | २०४००।०० |
| ३ करोड ५० लाख १ देखि ४ करोडसम्म | २२९५०।०० | २२९५०।०० |
| ४ करोड १ देखि ४ करोड ५० लाखसम्म | २५५००।०० | २५५००।०० |
| ४ करोड ५० लाख १ देखि ५ करोडसम्म | २८०५०।०० | २८०५०।०० |
| **५करोड १ देखि माथी** | रु०.८५। प्रति हजार | रु०.८५। प्रति हजार |

**१.१ सम्पत्ती मूल्यांकन निर्धारण प्रकृया :**

क) जग्गाको दर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्टेशन पारीत प्रयोजनका लागी उक्त आ.ब.मा कायम भएको न्युनतम मूल्यांकन दर

ख) सम्पत्ति करका लागि भौतिक संरचनाको मुल्यांकन निम्नानुसार कायम गर्ने :

| सि.नं. | भौतिक संरचनाको मूल्याकंन दर निम्न अनुसार कायम गर्ने | प्रति वर्ग फुट |
|---|---|---|
| १. | आर.सि.सि./स्टिल फ्रेम स्ट्क्चरबाट बनेको घर | ६५०।०० |
| २. | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुंगाको गारो RCC र RBC छाना | ६००।०० |
| ३ | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुगाँको गारो -RCCर RBCछाना | ५५०।०० |
| ४ | सिमेन्ट जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको -जस्ता र एस्वेस्टसको छाना । | ४७५।०० |
| ५ | मटोको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो -जस्ता र एस्वेस्टसको । | ३७५।०० |
| ६ | सिमेन्ट जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो -टाएलको छाना । | २७५।०० |

कांचो ईटा वा माटोको गारो वा बांस वा काठको टाटी भै फुस, छवाली,खर,पराल र साधारण टिनको छाना भएको घरको मूल्यांकंन गरीने छैन ।

**ग) भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टि दर (घट्दो दर) नक्सापास प्रमाणपत्रको आधारमा निम्न अनुसार गर्ने :**

| संरचनाको आयु | RCC / Steel Frame Structure बाट बनेको घर | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो RCC र RBC छाना | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो -RCC रRBC छाना | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुंगाको जस्ता र एस्वेस्टसको छाना | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो -जस्ता र एस्वेस्टसको छाना | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो टायलको छाना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १-५ वर्ष सम्म | - | - | - | - | - | - |
| ६-१५वर्ष सम्म | - | - | १० | १० | १० | १५ |
| १६-२५वर्ष सम्म | १० | १० | १५ | २० | २० | २० |
| २६-३५वर्ष सम्म | १० | २० | २० | २० | २० | मुल्याकंन नगर्ने |
| ३६ वर्षदेखि माथि | २० | २० | २० | मुल्याकंन नगर्ने | मुल्याकंन नगर्ने | मुल्याकंन नगर्ने |

**सम्पत्ति कर असुल गर्दा निम्न प्रक्रिया अपनाउने ।**

१. चालु आ.ब. को सम्पत्ति कर आ.ब. भित्र नबुझाएमा अर्को आ.ब. मा १ बर्षको बक्यौता भए १०%र एक आ.ब. भन्दा बढि भए २५%का दरले जरिवाना लिने ।

२. करदाताले पेश गरेको विवरण झुटा भए छानविन गरी लाग्ने कर रकमको अधिकतम शत प्रतिशत जरीवाना लिई असुल गर्ने ।

३. सम्पत्ति कर बाँकि रहेका करदातालाई उप म.न.पा. ले उपलव्ध गराउने सेवा,सुविधा,सिफारीस रोक्का राखिनेछ ।

४. सम्पत्ति कर असुल भई सकेको कुनै पनि सम्पत्तिमा सोहि आ.ब.मा पुनः कर लाग्ने छैन ।

५ मालपोत,बहाल विटौरी,घरजग्गा कर बक्यौता रहेको भए सम्पत्ति करको साथै असुल गर्ने ।

६. सम्पत्ति कर बुझाउंदा न.पा.मा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर, बहाल करका साथै उ.म.न.पा.लेतोकेको अन्य कर समेत दाखिला गरी असुल गर्ने ।

७. करदाताको सम्पत्ति घटबढ भएमा न.पा.ले उपलव्ध गराएको नमुना बमोजीमको फारमभरी करदाता स्वंयमले पेश गर्नुपर्ने छ ।

८. बिदेश जाने प्रयोजनको लागि करदाता चलन चल्तीको रेटमा मूल्याकंन गर्न आएमा स्थलगत अध्ययन गरी देखिए अनुसार मूल्याकंनमा कर लिई सोहिलाई कायम गर्ने ।

## अनुसूची २

## मालपोत कर

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा आ.व.२०७५/७६ को श्रावण १ गतेबाट सवै वडाहरुमा सम्पत्ती कर लागु भईसकेकोले मालपोत कर नलगाउने तर विगत आ.व.हरुको बक्यौता रकम भने असुल उपर गरिनेछ ।

## अनुसूची ३

## घर जग्गा बहाल कर :

नगरक्षेत्र भित्रको घर,पसल,ग्यारेज,गोदाम,टहरा,छप्पर,कारखाना,जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा घरजग्गाधनीबाट बहाल रकमको १०% घरजग्गा वहाल कर लिईने छ ।

## अनुसूची ४

## व्यवसाय कर

| क्र.स. | करका शिर्षकहरु | आ.व.२०७९।८०को(रु.) | आ.व.२०८०।८१को(रु.) |
|---|---|---|---|
| १. | **होटल, रेष्टुरेन्ट, लज क्यासिनो तथा मनोरञ्जन स्थल** | | |
| | १ तारे होटललाई | १६५००। | १६५००। |
| | २ तारे होटललाई | २७५००। | २७५००। |
| | ३ तारे होटललाई | ५५०००। | ५५०००। |
| | ४ तारे होटललाई | ८२५००। | ८२५००। |
| | ५ तारे होटल वा सो भन्दा माथी | ११०००० | ११०००० |
| | होटल (खाने बस्ने एयर कन्डीसनर भएको) | १०००० | १०००० |
| | होटल (खाने बस्ने एयर कन्डीसनर नभएको) | ५०००। | ५०००। |
| | रेष्टुरेण्ट | ३५००। | ३५००। |
| | मदिरा विक्री नगर्ने होटललाई | ३०००। | ३०००। |
| | क्यासिनो बार्षिक | २०००००। | २०००००। |
| | मिनी क्यासिनो बार्षिक | १०००००। | १०००००। |
| | डिस्को,डान्सबार,दोहोरी साँझ,फन पार्क,फिटनेस सेन्टर,जिम हाउस,मसाज सेन्टर | ५०००। | ५०००। |
| | क्याफे | | ३०००। |
| २. | **चलचित्र :** | | |
| | चलचित्र मन्दिर सिनेमा हल साधारण | ३५००। | ३५००। |
| | Q.F.X. | १२०००। | १२०००। |
| ३. | **मिठाई पसल** | | |
| | क श्रेणी (उच्चसुविधायुक्त एसि भएको) | ६०००। | ६०००। |
| | ख श्रेणी,चिया,कफि,नास्ता पसल (वसेर खान मिल्ने फर्निसिड. व्यवस्था भएको) | २०००। | २०००। |
| | ग श्रेणी तथा अन्यलाई | १०००। | १०००। |
| | चिया कफी नास्तापसल | ७५०। | ७५०। |
| ४. | पुल हाउस तथा स्नुकर | २५००। | २५००। |
| ५. | **मासु तथा माछा पसल** | | |
| | खसी, कुखुरा, बंगुर, राँगा तथा माछा | १५००। | १५००। |
| | **माछा मासु उद्योग** | **१२०००।** | **१२०००।** |
| | **सुविधाजनक एसि भएको ठूला मिटमार्ट** | **५०००।** | **५०००।** |
| | **अण्डा थोक बिक्रेता** | **२५००।** | **२५००।** |
| | छाला संकलन | २०००। | २०००। |
| | कृषि तथा पशुपंक्षिजन्य फर्म | १०००। | १०००। |
| | मासु प्याकेजिङ | | ५०००। |
| ६. | **फलफुल पसल** | | |
| | थोक फलफुलमा | २५००। | २५००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | खुद्रा फलफुल र फलफुल जुश | ५००। | ५००। |
| | तरकारी थोक बिक्रेता | २५००। | २५००। |
| | उखुको रस | २५००। | ५००। |
| ७. | **सुन चाँदी पसल** | | |
| | थोक पसल | १२०००। | १२०००। |
| | क श्रेणी (ठुलापसल) | १००००। | १००००। |
| | ख श्रेणी (सानापसल) | ५०००। | ५०००। |
| | ग श्रेणी (मर्मतपसल) | १५००। | १५००। |
| | रोलगोल्ड(नक्कली गहना पसल) | ३०००। | ३०००। |
| ८. | **औषधी पसल** | | |
| | **थोक श्रेणी** | | |
| | सुपर डिष्ट्रिव्युटर्स नेपाल राज्यभर कारोवार गर्ने | २००००। | २००००। |
| | क्षेत्रिय सुपर डिष्ट्रिव्युटर्स बुटवल महेन्द्रनगरसम्म कारोवार गर्ने | १५०००। | १५०००। |
| | थोक/खुद्रा यस क्षेत्रमा मात्र कारोवार गर्ने | ५०००। | ५०००। |
| | सर्जिकल पसल | ५०००। | ५०००। |
| | **खुद्रा श्रेणि** | | |
| | हस्पिटलभित्र | ५,०००। | ५,०००। |
| | हस्पिटल बाहिर | ३,०००। | .३,०००। |
| | विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको औषधिपसल | १२,०००। | १२,०००। |
| | चिकित्सक रहेको औषधिपसल | ८,०००।- | ८,०००।- |
| | हे.अ./अ.हे.व. रहेको औषधी पसल | ५,०००। | ५,०००। |
| | चिकित्सक(प्राइभेट क्लिनिक) | ५,०००।- | ५,०००।- |
| | सर्जिकल सामानको थोक/खुदा | | ७५००।– |
| ९. | **स्वास्थ्य तर्फ** | | |
| | मेडिकल कलेज (शिक्षण अस्पताल) | १२५०००। | १२५०००। |
| | हस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, | ६००००। | ६००००। |
| | अन्य निजि अस्पताल (नाक,कान,दाँत,घाँटी लगायत) | २५०००। | २५०००। |
| | अन्य सामुदायिक अस्पताल | २५००। | २५००। |
| | डेण्टल हस्पीटल | १००००। | १००००। |
| | ल्याव प्याथोलोजी, एक्सरे, अल्ट्रा साउण्ड, सिटी स्क्यान समेत भएकोलाई | १२०००। | १२०००। |
| | ल्याव प्याथोलोजी र एक्सरे समेत भएकोलाई | ५०००। | ५०००। |
| | ल्याव मात्र भएकोलाई | २५००। | २५००। |
| | एक्सरे मात्र भएकोलाई | २५००। | २५००। |
| | सिटी स्क्यान मात्र भएकोलाई | ७५००। | ७५००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अल्ट्रा साउण्ड मात्र भएको | ५०००। | ५०००। |
| | चस्मा पसललाई | १०००। | १०००। |
| | दांत बनाउने पसललाई | १०००। | १०००। |
| | होमीयो पैथीक पसललाई | १०००। | १०००। |
| | अक्कु पङचर उपचार केन्द्रलाई | १०००। | १०००। |
| | आयुर्वेदिक पसल | २०००। | २०००। |
| | पोलिक्लिनिक | | ६०००। |
| | डाइग्नोस्टिक सेन्टर | | ५०००। |
| | डेण्टल क्लिनिक | | ७५००। |
| | आयुर्वेदिक पसल–डिलर | | ५०००। |
| १०. | **एग्रोभेट** | | |
| | एग्रोभेट थोक पसललाई | २५००। | २५००। |
| | एग्रोभेट खुद्रा पसललाई | १०००। | १०००। |
| | हसिया, कुटो कृषि सामाग्री | | ३०००। |
| ११. | **तम्बाकु एवं सुर्तिजन्य पसल** | | |
| | तम्बाकु पसल उत्पादक सुर्तिजन्य गुठ्खा समेत | १००००। | १००००। |
| | तम्बाकु पसल खुद्रा सूतिजन्य पदार्थ (पान पसल समेत) | ५०००। | ५०००। |
| १२ | **धोबी पसल** | | |
| | ड्राई क्लिनर्स | १५००। | १५००। |
| १३. | **सिलाई पसल** | | |
| | २ थान सम्म सिलाई मसिन भएकोलाई | छुट । | छुट । |
| | ३ देखि ४ सम्म सिलाई मेसीन भएकोलाई | २०००। | २०००। |
| | ५ देखि ८ सिलाई मेसीन भएकोलाई | ३०००। | ३०००। |
| | ८ भन्दा धेरै सिलाई मसिन भएकोलाई | ५०००। | ५०००। |
| | सुटिङ्ग सटिङ्ग समेत भएकोलाई | १००००। | १००००। |
| | बुटिक पसल | ५०००। | ५०००। |
| १४. | **सैलुन तथा ब्युटीपार्लर** | | |
| | १ सिट लाई | ५००। | ५००। |
| | २ देखि ५ सिट सम्म | २०००। | २०००। |
| | ५ सिट भन्दा माथि | ४०००। | ४०००। |
| | ट्रेनिडसेन्टर समेत भएमा थप रु.१०००। लाग्नेछ । | | |
| | कस्मेटिक पसल | | २५००।– |
| | टयाटु हान्ने पसल | | २५००। |
| १५. | **इलेक्ट्रोनिक्स** | | |
| | इलेक्ट्रोनिक्स खुद्रा | ३०००। | ३०००। |
| | इलेक्ट्रोनिक्स थोक | ५०००। | ५०००। |
| | इलेक्ट्रोनिक्स थोक र खुद्रा दुवै | ७०००। | ७०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मोवाइल डिलर | ५०००। | ५०००। |
| | मोवाइल खुद्रा | ३०००। | ३०००। |
| | मोवाइल थोक र खुद्रा दुवै | ६०००। | ६०००। |
| | इलेक्ट्रीकल सामान मर्मत गर्ने पसल | | २०००। |
| | मोबाइल एसोसेरिज | | १०००। |
| १६ | **घ वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धि:** | | |
| | ईजाजतपत्र दस्तुर | ५००००। | ५००००। |
| | नविकरण दस्तुर(आ.व.समाप्त पछि पौष मसान्त सम्म | | ५०००। |
| | नविकरण दस्तुर(आ.व.समाप्त पछि चैत्र मसान्त सम्म | | १००००। |
| | माथि उल्लेखित नविकरण अवधि समाप्त भएपछि थप प्रतिवर्ष | | १००००। |
| | ठाउसारी(अन्तरजिल्ला) | १५०००। | १५०००। |
| | ईजाजतपत्र प्रतिलिपी दस्तुर | ५०००। | ५०००। |
| | ईजाजतपत्र नामसारी दस्तुर (एकाघर सगोलमा) | १५०००। | ७५००। |
| | ईजाजतपत्र नामसारी दस्तुर (एकाघर सगोल बाहेक) | ४००००। | ४००००। |
| १७ | **निर्माण ब्यवसायी :** | | |
| | ग वर्गलाई | ४५००। | ४५००। |
| | ख वर्गलाई | ७५००। | ७५००। |
| | क वर्गलाई | १५०००। | १५०००। |
| १८. | **हवाई सेवा :** | | |
| | हवाई उडान गर्ने एयर लाईन्सलाई बार्षिक | १००००। | १००००। |
| | प्रत्येक ट्रावल्स एजेन्सीलाई बार्षिक | २०००। | २०००। |
| | ने.गं.बिमानस्थल बाट उडान गर्ने प्रत्येक हबाई टिकटमा (सुगम) | १००। | १००। |
| | ने.गं.बिमानस्थल बाट उडान गर्ने प्रत्येक हबाई टिकटमा (दुर्गम) | ५०। | ५०। |
| १९. | **कानुन ब्यवसायी :** | | |
| | अधिबक्ताको प्रमाण पत्र लिई ब्यसाय गरेको १० बर्ष | १०००। | १०००। |
| | अधिबक्ताको प्रमाण पत्र लिई ब्यसाय गरेको २० बर्ष | २०००। | २०००। |
| | अधिबक्ताको प्रमाण पत्र लिई ब्यसाय गरेको २० बर्ष भन्दा माथि | ३०००। | ३०००। |
| २० | **बितिय सेवा तर्फ :** | | |
| | क श्रेणी( बाणिज्य) | ३००००। | ३००००। |
| | ख श्रेणी(बिकास) | २००००। | २००००। |
| | ग श्रेणी(बितिय फाइनान्स | १५०००। | १५०००। |
| | घ श्रेणी सहकारी /लघु बित्त | ३०००। | ३०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बिमा कम्पनी | १००००। | १००००। |
| | बिदेशी मुद्रा सटही काउण्टर वा मनिट्रान्सफर | २०००। | २०००। |
| २१ | **जुत्ता चप्पल पसल :** | | |
| | थोक बिक्रेता | ५०००। | ५०००। |
| | खुद्रा बिक्रेता | २५००। | २५००। |
| | मेसिन बाट जुत्ता तयार गरी बिक्री गर्ने | १००००। | १००००। |
| | हातबाट जुत्ता, चप्पल बनाउने | | ३५००। |
| २२ | **हेभी तथा लाईट गाडी  मोटर पार्टस बिक्रि गर्ने :** | | |
| | चार पाङग्रे वा सो भन्दा माथि सवारी साधन | २००००। | २००००। |
| | मोटर साईकल स्कुटर बिक्री गर्ने पसललाई | १२०००। | १२०००। |
| | साईकल रिक्सा ,अटो रिक्सा बिक्री गर्ने पसललाई | ५०००। | ५०००। |
| | पपिङ,सेट जेनेरेटर र मेशिनरी सरसामानहरु बिक्री गर्ने पसललाई | ५०००। | ५०००। |
| २३ | **गाडी, रिक्सा, साईकलको पार्टस विक्रि पसल :** | | |
| | वस,ट्रक, टेक्टर, जिप, कार, टेम्पो आदि । | १००००। | १००००। |
| | मोटरसाईकल, स्कुटर | ५०००। | ५०००। |
| | साईकल रिक्सा ,अटो रिक्सा | २५००। | २५००। |
| | अटो रिक्सा उद्योग | ८०००। | ८०००। |
| | ठेला दर्ता | | ५००। |
| | ठेला नविकरण | | ५००। |
| २४ | **टायर (रिसोलिङ्ग,मर्मत) तथा मोविल :** | | |
| | टायरको थोक बिक्रेता | ५५००। | ५५००। |
| | टायरको खुद्रा विक्रेता | २०००। | २०००। |
| | रिसोलिङ्ग तथा मर्मत | ५०००। | ५०००। |
| | सिट हुट बनाउने पसल | १०००। | १०००। |
| | लेथ वेल्डिङ्ग भएको पसल | १०००। | १०००। |
| | मोविल आयल डिलर बिक्रेता | २०००। | २०००। |
| | मोविल आयल खुद्रा बिक्रेता | १०००। | १०००। |
| २५ | **गाडी मर्मत :** | | |
| | बस ट्रकको बडी बनाउने कारखाना | ५०००। | ५०००। |
| | हेभी गाडी तथा मेशीनरी मर्मतहरु | १५००। | १५००। |
| | लाईट गाडी तथा मेशीनरी मर्मत | १०००। | १०००। |
| | सवारी साधन सर्भिसिङ तथा मर्मत सेन्टर | १०००। | १०००। |
| | व्याट्रि विक्रि तथा मर्मत कारखाना तथा पसल | ५०००। | ५०००। |
| | मोटर साईकल मर्मत | ५००। | २५००। |
| | साइकल बनाउने पसल | | १०००। |
| २६ | **कबाडी पसल :** | | |
| | ठुला पसल | १००००। | १००००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | साधारण पसल | ५०००। | ५०००। |
| | डिस्पोजेबल सामाग्री बिक्रि | | ३०००। |
| २७ | **एजेन्सी तथा थोक बिक्रेता पसल :** | | |
| | चुरोटको डिलर | १२०००। | १२०००। |
| | पेट्रोल पम्प | १००००। | १००००। |
| | प्लाष्टिक डिलर | ६०००। | ६०००। |
| | चाउचाउ डिलर | ५०००। | ५०००। |
| | साबुन डिलर | ३०००। | ३०००। |
| | ग्याँस सिलिन्डर डिलर | २५००। | २५००। |
| | कोईला डिलर | १०००। | १०००। |
| | मट्टितेल डिलर | १०००। | १०००। |
| २८ | **मादक तथा अन्य पेय पदार्थ :** | | |
| | राष्ट्रियस्तर (राज्यभर) का डिस्ट्रीव्युटर्स | १२०००। | १२०००। |
| | क्षेत्रियस्तरका डिस्ट्रीव्युटर्स | ८०००। | ८०००। |
| | जिल्लास्तरका डिस्ट्रीव्युटर्स | ६०००। | ६०००। |
| | थोक विक्रेता | २५००। | २५००। |
| | खुद्रा विक्रेता | २०००। | २०००। |
| | मदिरा बाहेकको पेय पदार्थ बेच्ने पसल | | २५००। |
| २९ | **टेन्ट हाउस :** | | |
| | क्याटरिङ्ग  सहितको टेन्ट हाउस पसल | ५०००। | ५०००। |
| | टेन्ट हाउस मात्र | १५००। | १५००। |
| | माईक बिजुली डेकोरेसन, बैण्ड बाजा पसल | १०००। | १०००। |
| | कुनै शुभकार्यका लागि सार्वजनिक तथा सडक क्षेत्रमा टेन्ट लगाउनु पर्ने भएमा उपमहानगरपालिका द्वारा पूर्व स्वीकृती लिई आवागमनमा अवरोध नहुने गरी मात्र टेन्ट लगाउनु पर्ने छ ।) | | |
| ३० | **कलरल्याब तथा फोटो स्टुडियो** | | |
| | कलरल्याब | ४०००। | ४०००। |
| | फोटो स्टुडियो | १५००। | १५००। |
| ३१ | **इन्टिच्युट,प्रतिष्ठान तथा तालिम केन्द्र :** | | |
| | मेन ईन्टरनेट व्यवसायी - | १००००। | १००००। |
| | सर्वर राख्ने इमेल इन्टरनेटका व्यवसायीहरु | ३०००। | ३०००। |
| | कम्प्यूटर तथा पार्टस थोक विक्रेता | ५०००। | ५०००। |
| | कम्प्यूटर खुद्रा विक्रेता | २०००। | ३०००। |
| | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र र भाषा प्रक्षिण ट्युसन ईन्स्टीचयूट | ३५००। | ३५००। |
| | फोटो कपी तथा डेस्कटप | १०००। | १०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सवारी चालक तालिम | २५००। | २५००। |
| | केवल नेटवर्क सर्भिस | ५०००। | ५०००। |
| | अनलाईन व्यवसायी | १५००। | १५००। |
| | अनलाइन फर्म फर्ने | | १५०० |
| | फोटोकपी तथा लेमिलेसन | | १५००। |
| | रिचार्ज र सिम बेच्ने पसल | | २०००। |
| ३२ | **निजी क्षेत्रका बिधालय** | | |
| | क बर्ग | १५०००। | १५०००। |
| | ख बर्ग | १००००। | १००००। |
| | ग बर्ग | ५०००। | ५०००। |
| | घ बर्ग | १०००। | १०००। |
| | सी.टी.भि.टी तथा बिश्व बिधालयबाट स्वीकृती लि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कलेज बिश्व बिधालयलाई | | |
| | १.प्राबिधिक शिक्षालय तर्फ | १५०००। | ३००००। |
| | २.साधारण तर्फ | १००००। | १००००। |
| | होस्टल (५० जना भन्दा कम विद्यार्थी) | | ३०००। |
| | हास्टेल (५० जना भन्दा बढी विद्यार्थी) | | ५०००। |
| ३३ | **छापाखाना अफसेट प्रिन्टिङ्ग प्रेस :** | | |
| | फ्लेक्स प्रिन्टलाई | ६०००। | ६०००। |
| | छापाखाना तथा अफसेट सबै भएको | ३०००। | ३०००। |
| | हातले लेखाई गर्ने बाट | १०००। | १०००। |
| | पत्रिकामात्र प्रकाशन गर्ने प्रकाशक | कर छुट | कर छुट |
| ३४ | **ट्रान्सपोर्ट व्यबसाय** | ६०००। | ६०००। |
| | **यातायात ब्यवसायी** | ३०००। | ३०००। |
| ३५ | **कपडा तथा फेन्सी पसल :** | | |
| | काँचो कपडाको थोक बिक्रेतालाई | ७०००। | ७०००। |
| | काँचो कपडाको खुद्रा बिक्रेतालाई | ३५००। | ३५००। |
| | रेडिमेड कपडाको थोक बिक्रेतालाई | ६०००। | ६०००। |
| | रेडिमेट कपडाको खुद्रा बिक्रेतालाई | ३०००। | ३०००। |
| | काँचो र खुद्रा दुबै कपडाको बिक्रेतालाई | ८०००। | ८०००। |
| | ब्याग, बेल्ट पसल | | २५००। |
| ३६ | **स्टेसनरी तथा पुस्तक पसल** | | |
| | थोक तथा खुद्रा स्टेस्नरी पसल | २५००। | २५००। |
| | खुद्रा स्टेस्नरी पसल | १०००। | १०००। |
| | किताब तथा कापी बिक्रि पसल | १०००। | १०००। |
| | कापी मात्र बिक्रि पसल | ५००। | ५००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३७ | **गल्ला, किराना तथा बिसात खाना :** | | |
| | गल्ला तथा खाद्यान्न थोक बिक्रेता | ५०००। | ५०००। |
| | गल्ला तथा खाद्यान्न खुद्रा बिक्रेता | २५००। | २५००। |
| | चुडि पोतेको थोक बिक्रेता | ३०००। | ३०००। |
| | चुडि पोतेको खुद्रा बिक्रेता | १५०० | १५००। |
| | धागो, चैन, टाक इत्यादी बेच्ने पसल | १५००। | १५००। |
| | अन्य खुद्रा बिक्रि पसल | १५००। | १५००। |
| | पुजा सामाग्री विक्रि | | २०००। |
| | होम डेलिभेरी फुड | | २०००। |
| | होम डेकोरेसन सामाग्री | | ३०००। |
| ३८ | **तरकारी पसल :** | | |
| | थोक तथा आढ्त पसल | २५००। | २५००। |
| | फुटकर पसल | ५००। | ५००। |
| ३९ | **हार्डवयर पसल :** | | |
| | हार्डवयर पसल | १००००। | १००००। |
| | हार्डवयर पसल (सरिया, सिमेन्ट,सिसा प्लाई मात्र) | ४०००। | ४०००। |
| | सटरिङ तथा फर्मा | १०००। | १०००। |
| | हार्डवयर (किल्ला, काँटी, कब्जा) | | ४०००। |
| | ग्रिल पसल साधारण | | ३०००। |
| | ग्रिल उद्योग | | ५५००। |
| | मेटलको झयाल ढोका | | ३०००। |
| ४० | **डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट/सुपरमार्केट/भाडा पसलः** | | |
| | चेन सहितको अत्याधुनिक सुविधायुक्त सुपरमार्केट | २५०००। | २५०००। |
| | डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट एक तलाको लागि | १००००। | १००००। |
| | डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट एक तला भन्दा बढिको लागि एकमुष्ट | १५०००। | १५०००। |
| | भाँडाको सो रुम | ७५००। | ७५००। |
| | भाँडा बेच्ने पसल | २०००। | २५०० |
| | फलामे पसल | १०००। | १०००। |
| | फलाम मात्र बेच्ने पसल | | २०००। |
| ४१ | **पशु आहार :** | | |
| | उधोग तर्फ | ७५००। | ७५००। |
| | खुद्रा बिक्रिलाई | २०००। | २०००। |
| ४२ | **लेखा परिक्षक कम्पनीलाई** | २०००। | २०००। |
| | **लेखा परीक्षक :** | | |
| | क श्रेणी लाई | ५०००। | ५०००। |
| | ख श्रेणीलाई | २०००। | २०००। |
| | ग/घश्रेणीलाई | १०००। | १०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४३ | **संचार सेवा :** | | |
| | पि.सि.ओ. ,फ्याक्स सेवा, एस.टि. डि., आइ.एस.टि.डि., लोकललाई | ५००। | ५००। |
| | इमेल,इन्टरनेट,फोटोकपी भएकालाई थप | ५००। | ५००। |
| | टेलिकम्युनिकेशन सम्बन्धि थोक बिक्रेता | ५०००। | ५०००। |
| | कुरीयर सेवा | ५००। | ५००। |
| ४४ | **गैरसरकारी संस्था :** | | |
| | पेशा/सेवा शुल्क(नाफामूलक भएमा) | १०००। | १००। |
| | सिफारिस दस्तुर(संस्था दर्ता/नविकरण) | ५००। | ५००। |
| | अन्यत्र प्रधान कार्यालय भई यस उपमनपामा शाखा विस्तार सिफारिश | ५००। | ५००। |
| | परियोजना सञ्चालन पूर्व सहमती सिफारिस | | ५००। |
| ४५ | **कन्सल्टेन्सी सेवा :** | | |
| | कन्सल्टेन्सी, इन्जीनियर, प्राविधिक सेवा( व्यवसाय दर्ता) | २०००। | २०००। |
| | नक्शापास अनुमती दर्ता प्रमाणपत्र | ५५००। | ५५००। |
| | ई–रिक्सा ब्लुबुक प्रतिलिपी | | १००। |
| | भन्सार एजेन्ट | | २०००। |
| ४६ | **कंक्रिट उद्योग :** | | |
| | हलोव्लक | ५०००। | ५०००। |
| | ढुङ्गा, गिटी, बालुवा,कंकिट, हयुमपाइप | ५०००। | १५०००। |
| | सेनेटरी प्याड उधोग | ५०००। | ५०००। |
| | ईटा भट्टा | २००००। | २००००। |
| | माटो, गिटी, बालुवा, सप्लायर्स | | ७५०० |
| ४७ | **प्लाष्टिक उधोग :** | १००००। | १००००। |
| ४८ | **पानी उद्योग** | ३०००। | ३०००। |
| ४९ | **बिस्कुट तथा पाउरोटि उधोग** | | |
| | बिस्कुट पाउरोटि उधोग | १५००। | १५००। |
| ५० | **चकलेट उधोग** | ५०००। | ५०००। |
| ५१ | **अगरबत्ती तथा मोमबत्ती उधोग** | १५००। | १५००। |
| ५२ | **कपडा उधोग :** | | |
| | कपडा उधोग | १००००। | १००००। |
| | गारमेन्ट उधोग | ५०००। | ५०००। |
| ५३ | **फर्निचर उधोग :** | | |
| | स्टील फर्निचर उत्पादन तथा बिक्रि | ५०००। | ४०००। |
| | स्टील काठ दुबै फर्निचर बिक्रि गर्ने | ४०००। | ३०००। |
| | स्टील फर्निचर खुद्राबिक्रि गर्ने | २०००। | २०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | काठको फर्निचर | २५००। | २५००। |
| | बेतबाँसको फर्निचर.बिक्रि | १५००। | १५००। |
| | फोम तथा कार्पेट बिक्रि | २५००। | ४०००। |
| | कपास र सिरक डसना बेच्नेलाई | २५००। | २५००। |
| ५४ | **स-मिल :** | | |
| | स-मिल (काठ चिरने बेच्ने) | ७५००। | १५०००। |
| | काठ बिक्री डिपो | २०००। | ३००० |
| ५५ | **बरफ तथा आईसक्रिम उद्योग :** | | |
| | बरफ तथा आईसक्रिम उद्योग | ४०००। | ४०००। |
| | कनफेक्सनरी उद्योग | ५००। | ५००। |
| | केक बिक्री | | २५००। |
| ५६ | **कुटानी, पिसानी, पेलानी मिल :** | | |
| | आधुनिक सेलर राईस प्लान्ट राखी चामल, दाल, पीठो पिसानी र पेलानी समेत भएको | ५०००। | ५०००। |
| | हलर हषकर र चक्की राखी चामल, दाल, पीठो पिसानी र पेलानी समेत भएको | ३५००। | १०००। |
| | मसला पिस्ने, कुटानी, पिसानी र पेलानी मध्ये कुनै एक भएको | १५००। | १०००। |
| | प्लाईउड इन्डस्ट्रिज | १५०००। | १५०००। |
| ५७ | **ईन्जिनीयरिङ वर्कसप :** | | |
| | सप्लायर तथा मर्मत दुबै गर्नेलाई | ७५००। | ७५००। |
| | ग्रिल सटर बनाउनेलाई | ३०००। | ३०००। |
| | ग्यास बनाउने | | १५००। |
| ५८ | **बिजुली सामाग्री बिक्रि पसल** | | |
| | बिजुलीको सम्पुर्ण सामानहरुको सप्लायर्स र थोक विक्रेता | ५०००। | ५०००। |
| | बिजुलीको सामानहरुको खुद्रा विक्रेता | ३०००। | ३०००। |
| | सोलार व्यवसायी | २५०० | २५००। |
| ५९ | **जडिबुटि :** | | |
| | जडिबुटि प्रसोधन व्यबसाय | १००००। | १००००। |
| | जडिबुटि बिक्रि बितरण | २५००। | २५००। |
| ६० | **घरेलु उद्योग :** | | |
| | टिनको बाकस बनाउने उद्योग | १५००। | २५००। |
| | टिनको बाकस बिक्रिगर्ने | २५००। | १५००। |
| | तामा,ढलोटको र आल्मोनियम भांडा उद्योग | ३०००। | ३०००। |
| | तामा,ढलोटको र आल्मोनियम भांडा बिक्रि गर्ने | १०००। | १०००। |
| | डिस्टील वाटर तथा एसिड उत्पादन गर्ने | ५०००। | ५०००। |
| | डिस्टील वाटर तथा एसिड उत्पादन विक्री गर्ने | १०००। | १०००। |
| | डेरी पसल | १०००। | १०००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | माथी उल्लेख नभएको साना घरेलु उधोगहरुलाई | १०००। | १०००। |
| ६१ | **प्लाष्टिक सामाग्री बिक्रेता :** | | |
| | थोक बिक्रेता | ४०००। | ४०००। |
| | खुद्रा बिक्रेता | २०००। | २०००। |
| | शिसा,फ्रेम,प्लाइउड र सनमाइका | ३०००। | ३०००। |
| ६२ | **रंगरोगन पसल :** | | |
| | रंगरोगन सामानको थोक बिक्रेतालाई | ७०००। | ७०००। |
| | रंगरोगन सामानको खुद्रा बिक्रेतालाई | ५०००। | ५०००। |
| ६३ | **शिलालेख पसल :** | | |
| | शिलालेख लेख्ने पसललाई | १०००। | १०००। |
| ६४ | **हाउजिङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्रि तर्फ रियल स्टेट** | २५०००। | २५०००। |

- यस उप–महानगरपालिकाको साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लघु उद्यम गर्ने प्रयोजनार्थ व्यवसाय दर्ता गर्न आएमा जुनसुकै व्यवसायको लागि व्यवसायकर वार्षिक रु.२००।–मात्र ।
- मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका उद्योग स्थापना गर्नु परेमा नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

## अनुसूची ५
## जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

यस उप महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत देहाय बमाजिमको शूल्क(मू.अ.क.सहित) लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

| सि.नं. | कवाडी सामानको विवरण | निर्धारित दर रु. |
|---|---|---|
| १. | कागज तथा कार्टुनजन्य पदार्थहरु प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| २. | जे जस्तो अवस्थामा छ पुनःसोही रुपमा प्रयोग गर्न सकिने | |
| २.१ | खाली शिशी(वियरको) हल्का पेय पदार्थ बाहेक प्रतिगोटा | रु.१।– |
| २.२ | खालि शिशी(५०० एम.एल.भन्दा माथि प्रतिगोटा | ०.२५ पैसा |
| २.३ | खालि शिशि(५०० एम.एल.भन्दा तल प्रतिगोटा | ०.१० पैसा |
| २.४ | प्लाष्टिक वोतल,भाडाकुडा,पुराना जुत्ता चप्पल र ग्यालेन प्रतिगोटा | ०.५० पैसा |
| ३ | खालि बोरा प्रतिगोटा | |
| ३.१ | जुटको बोरा १०० के.जि.क्षमताको प्रतिगोटा | ०.२५ पैसा |
| ३.२ | जुटको बोरा ५० के.जि.क्षमताको प्रतिगोटा | ०.१० पैसा |
| ४. | तेलको टिन प्रतिगोटा | |
| ४.१ | १० लि.भन्दा बढि क्षमताको | ०.८० पैसा |
| ४.२ | १० लि.भन्दा कम क्षमताको | ०.५० पैसा |
| ५. | पुनः प्रशोधन गरी प्रयोग गर्न सकिने | |
| ५.१ | झिण्डु(प्राकृतिक र कृतिम उनका टुक्रा) प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |

| | | |
|---|---|---|
| ५.२ | गार्मेन्टका कपडाका टुक्रा प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ५.३ | जलेको मोविल प्रतिलिटर | ०.५० पैसा |
| ५.४ | जुट र प्लाष्टिकका बोरा फाटेका प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ५.५ | प्लाष्टिकका टुक्रा प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ५.६ | पुराना टायर र ट्युव प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ५.७ | खाली टिन प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ५.८ | पुरानो ड्रम प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ६ | धातुका कवाडी सामानहरु प्रति के.जि. | |
| ६.१ | फलामजन्य सामान तथा आइरन डस्ट टुक्रा प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ६.२ | अन्य धातुजन्य पित्तल,तामा,जिङ्क आदीका सामान तथा टुक्राहरु प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ६.३ | बिग्रेका मेशीनरी औजार तथा पाटपुर्जा प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ७ | | |
| ७.१ | पोलिथिन पाईपका टुक्रा प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ७.२ | सिसा( लिडका टुक्रार धुलो) प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ७.३ | काँचको टुक्रा र धुलो प्रति के.जि. | ०.८० पैसा |
| ७.४ | मिनरल वाटरको बोतलहरु प्रतिगोटा | ०.१० पैसा |
| ८. | पिना प्रति के.जि. | ०.१२ पैशा |
| ९. | भुस(धान र गहु) ६ पांग्रे ट्रक प्रति ट्रक | रु.५००।– |
| १०. | भुस(धान र गहु) १० पांग्रे ट्रक प्रति ट्रक | रु.१०००।– |
| ११. | चोकर प्रति के.जि. | ०.१० पैशा |
| १२. | जडिबुटी वा जिवजन्तु(प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जिवजन्तु बाहेकका मृत वा मारिएका जिवजन्तुको हाड,सिंग,प्वाँख र छाला)को हकमा प्रति ट्रीप | रु.२,५००।–देखि रु.५,०००।–सम्म |

## अनुसूची ६

**सवारी कर**

**दफा ७ संग सम्बन्धित**

**सवारी साधन कर (साना सवारी)**

| क्र.सं. | बिवरण | करका दर रु. | |
|---|---|---|---|
| | | दर्ता | नविकरण |
| १ | ई–रिक्सा | १००० | ५०० |

**नविकरण अवधि समाप्त भएको इरिक्सा नविकरण गर्दा प्रति बर्ष रु.१०० का दरले थप जरिवाना लिने ।**

## अनुसूची ७

**विज्ञापन करः**

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रचार सामाग्री निजी वा सार्वजनिक दुबैमा प्रयोगमा आउने विज्ञापनमा विज्ञापन करका देहाय वमोजिमको दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) रहनेछ :-

१.होडिङ बोर्ड प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.१००।

२.विद्युतिय होडिङ बोर्ड प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.१५०।

३.2D/3D ग्लो साइन वोर्ड,ए.सि.पि. प्रतिवर्गफुट रु.१००।

४.Digital Board/Neon shine board प्रतिवर्गफुट रु.५०।(मासिक)/रु.५००(वार्षिक)

५.Flex board/DPS board प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.५०।

६.सटर/वाल पेन्टीङ प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.२०।
७.माइकिङ नगरक्षेत्रभित्र(जुनसुकै सवारी साधनमा भएपनि) रु.१५०।(प्रतिदिन)
८.छाता,फ्लेन्जर,बेलुन,डमि,स्टल प्रतिदिन प्रतिगोटा रु.२००।
९.पोल ब्यानर,बस ब्यानर प्रतिहप्ता रु.१००।
१०.ट्राफिक आइल्याण्ड विज्ञापन वार्षिक प्रतिआइल्याण्ड रु.१५,०००।
११.कुनै मेला,महोत्सवमा विज्ञापनकर(मेला अवधिभर) रु.५०००।
१२.बस स्टप विज्ञापन बोर्ड प्रति बस स्टप वार्षिक रु.१०,०००।
१३.उप–महानगरपालिका सँग सम्झौता भइसकेका कर संकलन गर्न नहुने क्षेत्र बाहेकका सोलार तथा विद्युतिय पोलहरुमा गरिएका विज्ञापनहरुको प्रतिगोटा वार्षिक रु.३५०।

**नोटः**

- मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनमा २५ प्रतिशत थप शूल्क लिने।
- उप–महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नलिइ राखिएका प्रचार सामाग्रीमा मनासिव देखिए शतप्रतिशत जरिवाना लिएर अनुमती दिन सकिने ।
- परिचय पाटीको हकमा ४* ५ वर्गफिट सम्मको मात्र प्रचार सामाग्री राख्न पाउनेछ । सो भन्दा ठूलो आकारको राखेमा माथि उल्लेखित प्रचार सामाग्री सरह शूल्क लिने ।
- नगरपालिका भित्रका चलचित्र हलहरुबाट नगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर प्राप्त हुने भएकोले प्रचार प्रसार छुट दिने ।
- निजी वा सार्वजनिक स्थानमा होर्डिड वोर्ड राख्दा यस कार्यालयको पूर्वस्विकृति लिई राख्नुपर्नेछ ।
- डिजिटल बोर्ड पूर्णरुपमा लागु भएको खण्डमा अन्य विज्ञापन करहरु लागु हुनेछैन ।

## अनुसूची ८

### मनोरञ्जन करः

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तोकेको नियमानुसार हुनेछ ।

## अनुसूची ९

### बहाल बिटौरी शुल्क

उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सटर, गोदाम, खाली जग्गाहरुमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिशमा भाडा लगाई नेपालगंज उप महानगरपालिकाक्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेकामा उल्लेख भए अनुसारकाजग्गा, घर, भवन, हाट बजार वा पसलमा सोही व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

## अनुसूची १०

### पार्किंग शुल्क

१. नेपालगञ्ज उपमहनगरपालिका, वडा न.४ स्थित बसपार्कको सवारीसाधन पार्किङ्ग तथा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनसार्वजनिक यात्रुसेवामा चल्ने यातायात सेवाको Routeतथा दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरिने :-

Local Route:-बाँके जिल्ला भित्र चल्ने सवारी साधनहरु ।
Short Route:-बर्दिया, सुर्खेत र दाङ्ग जिल्लासम्म चल्ने साधनहरु ।
Long Route:-माथि उल्लेखित क्षेत्र भन्दा बाहिर जाने सवारी साधनहरु ।

क) बसपार्कमा सवारी साधनको पार्किङ्ग सेवा शुल्क (भ्याट सहित) को दररेट :

| सि.न. | विवरण | दररेट (मु.अ.कर समेत) |
|---|---|---|
| १. | Long Routeमा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus | रु.१५० प्रतिपटक |
| २. | Short Routeमा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus | रु.१०० प्रतिपटक |

| | | |
|---|---|---|
| ३. | Local Routeमा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus | रु.५० प्रतिदिन |
| ४. | टाटा, सोमो, हायस, जीप आदि । | रु.७५ प्रतिपटक |
| ५. | रात्रिकालिन विश्राम सवै सवारी साधन (एकरात भन्दा बढि वस्ने भएमा) | रु.१००।-प्रतिदिन |

२. उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरकार्यपालिकाले तोकेका स्थान तथा ईजाजत दिएका पार्किङस्थलबाट निम्न बमोजिम पार्किङशुल्क लिईनेछ :

क) साइकल रु.५।
ख) मोटरसाईकल रु.१०।
ग) कारजिप रु.२०।
घ) ट्रक रु.४०।

## अनुसूची ११

### ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर,बोटिङ र ऱ्याफ्टीङ्ग शुल्कः

राजश्व परामर्श समितिको सिफारिशमा नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

## अनुसूची १२

### सेवा शुल्क, दस्तुरः

**१. भाडा महसुल उपभोग तथा सेवा शुल्क :**

**क) कार्यालयको सवारीसाधनको प्रयोगवापत शुल्क :**

| सि.न. | विवरण | दर | चालक खर्च | ईन्धन तथा सामान्य मर्मत व्यवस्था | धरौटी |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | डोजर | रु.२३००।(प्रतिघण्टा) | रु.१०००। (प्रतिदिन) | भाडामा लैजाने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर रकम |
| २. | टिफर | रु.७,०००। (प्रतिदिन) | रु.५००। (प्रतिदिन) | भाडामा लैजाने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर रकम |
| ३. | रोलर | रु.६,०००। (प्रतिदिन) | रु.१०००। (प्रतिदिन) | भाडामा लैजाने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर रकम |

- चालक खर्च भाडमा लिने पक्षले दिने ।
- नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको वडा कार्यालयको काममा सवारी साधन काम गर्न गएको अवस्थामा चालक र इन्धन खर्च सम्बन्धित वडा कार्यालयले नै ब्यहोर्ने ।

**ख) महेन्द्रपार्क तथा अन्य पार्कहरु :**

- ५ बर्ष भन्दा मुनि तथा ६० वर्ष भन्दा माथिको लागि प्रबेश शुल्क निशुल्क
- ५ बर्ष देखि ६० बर्ष सम्म प्रबेश शुल्करु.१०
- ६० बर्ष देखि माथिको लागि प्रबेश शुल्क निशुल्क
- क्यामरा रु.१००।
- महेन्द्र पार्कको परिसरभित्र विवाह, वर्तवन्ध जस्ता कार्यक्रमका लागि प्रतिदिन रु.११,०००।-

**ग) रानि तलाउप्रबेश शुल्क :**

| सि.न | विवरण | शुल्क |
|---|---|---|
| १. | ६ बर्षभन्दा मुनिको लागि | निशुल्क |
| २. | ६ बर्षभन्दा माथिको लागि प्रतिव्यक्ति | रु.१०।- |
| ३. | बोटिङ | रु.२५।- |
| ४. | व्यवसायिक प्रयोजनको लागि मुभि प्रति क्यामेरा | रु.२,०००।- |

**घ) वाटरपार्कको बोटिङ्ग शूल्कः**
अ) १ राउण्डको प्रतिब्यक्ति रु.४०।–
आ) १ घण्टाको प्रतिब्यक्ति रु.८०।–

**ङ) काञ्जी हाउस :**
सुंगुर, बंगुर, खच्चर भैसि,रागा धोडा,गोरु,खसि,बाखा,बोका,भेडा (प्रति दिन प्रति जीव) रु.१५००।-
बाच्छा बाच्छी, पाडापाडी (प्रति दिन प्रति जीव) रु. ७५०।-
गधा : (प्रति दिन प्रति जीव) रु.३००।-
निजी जिवजन्तु मरी न.पा.द्वारा फाल्नु परेमा (प्रतिजीव) रु. १०००।-
**नोटः**उपरोक्त बस्तु ७ दिन भित्र छुटाई नलगेमा लिलाम गर्ने र प्रतिदिन भन्नाले २४ घण्टा बुझीने छ। छाडारहेका पशुहरु सर्बसाधारणले पकाउ गरी कान्जीहाउसमा बुझाएमा तत्कालै प्रति जिउ रु.१००। पुरस्कार दिने र पशुधनी छुटाउन आएमा उक्त रकम थप गरी असुल गर्ने ।

**च)शुल्क शौचालय :**प्रति पटक प्रति ब्यक्ति : पिसाव, दिशा तथा स्नान गर्दा क्रमशः रु. ५।-(पाँच), रु.१०।-(दश) र रु.२०।-(वीस) ।

**२. शुल्क तथा दस्तुर :**
**क)सम्पति मुल्याकंन शुल्क :**
क)सबै किसिमको चार किल्लालाई प्रमाणित दस्तुर रु. ५००।००
**ख) दस्तुर दण्ड जरिवाना धरौटी फिर्ता र जफत :**
- नक्कल (सम्पत्तीकरको प्रतिपाना रु.५ र ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपीरु.५०) र निवेदन दस्तुर नियामानुसार
- अन्य फाराम दस्तुर नियमानुसार
- ब्यवसाय करको हकमा चालु वर्षको कर आश्विन मसान्त भित्र नविकरण गर्न आएमा १५ प्रतिशत छुट दिईनेछ र विगत आ.ब.को बक्यौता रहेमा १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाउने ।
- भरुवा बन्दुकमा नविकरण दस्तुर ऐन नियम बमोजिम लाग्ने छ ।
- रिक्सा, टांगाको दर्ता र नबिकरण गर्ने ।
  उप–महानगरपालिकाले भाडामा लगाएका संरचनाहरुमा खपत भएको बिद्युतको बिद्यत महशुल तोकिएको समयमा नबुझाएमा बिद्युत महशुलमा थप १५ प्रतिशत जरिवाना लिने ।

**३. नगर प्रहरीले जफत गरेका सामाग्रीहरु सम्वन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता गर्दा लाग्ने जरिवानाः**
**क) पहिलो पटकको जरिवाना**
- तराजु/बाँट– रु.१००।–
- ठेला– रु.३००।–
- ग्याँस सिलिण्डर ठूलो– रु.३००।–
- ग्याँस सिलिण्डर सानो– रु.१५०।–
- प्लाष्टिक क्यारेट– रु १००।–

**ख) निर्माण सामाग्रीहरु**
- घर निर्माण सामाग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरुको मूल्याङ्कन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने ।
- इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सामाग्रीहरुमा मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने ।
- लत्ता कपडाको मूल्याङ्कनको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने ।

**ग) सवारी साधन**
- मोटरसाईकल/स्कुटरको रु.२५०।–
- ३ पाङ्ग्रे सवारी साधनको रु.३००।–
- ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनको रु.५००।–

**घ)** खाद्य सामाग्री,माछा र मासुको सन्दर्भमा सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरि उचित जरिवाना गर्ने ।
**नोटः** माथि उल्लेखित जरिवानामा दोस्रो पटकलाई दोब्बर र तेस्रो पटकमा सामाग्री जफत गर्ने ।(सवारी साधनको हकमा हदैसम्मको जरिवाना हुने । ) साथै अन्य वस्तुको हकमा कार्यालयले तोके अनुसारको जरिवाना हुने ।

**४. सरसफाई सेवा शुल्क(मासिक दर रेट):**

| **सि. न.** | **वर्गीकरण** | **नयाँ दररेट** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| १ | ठेला (फलफूल /तरकारी) | ५० | |
| २ | घरधुरी (प्रति भान्सा /परिवार)/ पान पसल/स्टेशनरी पसल | १५० | |
| ३ | ठेला (चाट /मःम)/ खुद्रा पसल (ईलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रीकल पसल/कपडा/फेन्सी/ब्युटी पार्लर / कस्मेटीक/किराना पसल/ प्लाष्टिक सप्लायर्स) | २५० | |
| ४ | हेयर कटिङ्ग/ खाजा घर (रेष्टुरेन्ट)/ तरकारी तथा फलफूल पसल (खुद्रा)/फार्मेसी | ३०० | |
| ५ | सबै प्रकारका थोक पसल/ गेष्ट हाउस/ हार्डवयर पसल /माछा, मासु पसल (खुद्रा) बैंक/ फर्निचर पसल /वित्तीय संस्था /वर्कशप/ होस्टेल/ सपिङ्ग मार्केट /गाडी सो रुम | ५०० | |
| ६ | माछा, मासु पसल (थोक) | १००० | |
| ७ | तरकारी तथा फलफूल मण्डी | १०० | मन्डी भित्रका पसलहरुको आधारमा प्रति पसल |
| ८ | पार्टि प्यालेस /सिनेमा हल | ३००० | |
| ९ | ठूला होटल | | |
| ९.१ | होटल (Tourist Class) | १५०० | |
| ९.२ | होटल(3 star) | ५००० | |
| ९.३ | होटल (4 star) | १०००० | |
| ९.४ | होटल(5 star) | १२००० | |
| १० | सरकारी कार्यालय | ५०० | |
| ११ | विद्यालय (प्राइभेट) | | |
| ११.1 | प्राथमिक /Montessori | ५०० | |
| ११.२ | निम्न माध्यमिक | ८०० | |
| ११.३ | माध्यमिक | १००० | |
| ११.४ | उच्च माध्यमिक | १२०० | |
| १२ | सपिङ कम्प्लेक्स (राही मार्ट, भाटभटेनी) | ३०००-७५०० | |
| १३ | स्वास्थ्यजन्य फोहोर | | |
| १३.१ | सक्रमित फोहोर | रु.३१ प्रति के.जी. | |
| १३.२ | निर्मलिकरण गरिएको फोहोर | रु.२१ प्रति के.जी. | |
| १३.३ | साधारण फोहोर | रु.७ प्रति के.जी. | |

नोटः यहाँ उल्लेख नभएको विषयमा समान स्तरको फोहर उत्पादन दर कायम गर्ने।

१.माथि उल्लेखित ग्राहकले सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टाएमा मासिक शुल्कको २० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

२.कुनै व्यक्तिले विवाह बर्तबन्ध जस्तो समारोहको लागि सेवा माग भएमा प्रति ट्राली रु १००० दरले सेवा शुल्क लाग्नेछ।

३.विपन्न घरधुरीको हकमा रु ५० प्रति परिवार घरधुरी सेवा शुल्क लाग्नेछ।

४.उद्योग तथा कलकारखानाको हकमा यी उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केका हानिकारक फोहोरमैला बाहेक अन्य उत्पादित फोहोरको मात्रा हेरी सेवा दिने संस्था निकाय र उद्योग तथा कलकारखाना बीचको आपसी समझदारी अनुसार निर्णय हुनेछ।

५.कुनै व्यक्ति,व्यवसायी,संघ,संस्थाहरुले एकमुष्ठ फोहोर एकिकृत गरि संकलन गरेको फोहोरको प्रतिट्रालि रु.५०० का दरले सेवा शूल्क लाग्नेछ ।

**५. आधुनिक सक्सन टेंकरको सेवा शूल्क:**

सेवा शूल्क (प्रति ट्रिप): १०,००० लिटर क्षमताको रु.५,०००।–
४,००० लिटर क्षमताको रु.२,५००।–

**६.अन्य शुल्क एवं दस्तुर :**

- भरुवा बन्दुक नविकरण नियमानुसार
- धितो रोक्का वापत रु. ५००।-
- अतिरीक्त सेवा शुल्क : नगरभित्र फोहोर मैला उत्पादन हुने खालका माल सामान जस्तै तरकारी, फलफुल आदी लिई नगर प्रवेश गर्ने ट्रक, मिनीट्रक, टेक्टरमा सेवा शुल्क वापत रु.१५०। लाग्ने छ ।
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न चाडपर्वहरुमा पसल राख्ने व्यवसायीलाई प्रतिदिन रु.५० देखि रु ५०० सम्म शुल्क लाग्नेछ ।
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न उत्पादन सामाग्रीहरुको प्रचार प्रसार गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सडक यातायात अवरोध नहुने गरी ईजाजत दिएवापत स्तर हेरी प्रतिदिन रु.५००।- देखि रु.५,०००।- सम्म लाग्नेछ ।

**७.जग्गा प्लटिङ/रेखाङ्कन सम्बन्धी सेवा शुल्क :**

क)जग्गा प्लटिङ गर्दा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको भवन तथा योजना मापदण्ड, २०५६ अनुसार हुन पर्ने रजिष्टर्ड प्राविधिकबाट नक्सांकन गरी स्वीकृत लिएकाबाट

- न्यूनतम ३ कठ्ठा सम्म रु.२,०००।-
- ३ कठ्ठा देखि ५ कट्ठा सम्म रु.५,०००।-
- ५कठ्ठा देखि १ बिगाह सम्म रु. १०,०००।-
- २० कट्ठा भन्दा माथि रु.५०,०००।

ख) नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरुलाई नापी कार्यालय बाँकेले प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराएको ६ महिनाभित्र सम्मको नापी नक्सा अनुसार जग्गा रेखाङ्कन गरेवापत रु.१२००।–

**८.घर नक्सा पास दस्तुर :**

- ट्रस स्ट्रक्चर/माटोको जोडाईमा प्रतिवर्ग फिट रु ५।–
- लोड वियरिंगमा प्रतिवर्ग फिट रु ९।–

**आर.सि.सि. स्ट्रक्चर**

i. आवासिय भवनमा प्रतिवर्ग फिट रु १२।–
ii. संघसंस्था तथा व्यापारिक, तारेहोटल, कम्पेल्क्स हासपिटल चलचित्र भवनमा प्रतिवर्ग फिट रु १४।
iii. तर सुर्खेत रोड, चारवाहिनि देखि सदरलाईन, न्यूरोड तथा बसपार्क रोडको विद्युत कार्यालय सम्म नक्सापास गर्दा माथिको दस्तुरमा प्रतिवर्ग फुट रु.३ का दरले थप दस्तुर लिने ।

- **नक्सापास प्रक्रियामा नआई निर्माण गरिएका घरहरुको हकमा २०८० असोज मसान्त सम्म Single दस्तुर लिई प्रमाणित गर्ने र सो पश्चात नक्शा प्रमाणिकरण कार्य बन्द गर्ने ।**
- पुरानो मापदण्डमा बनेका घरहरुको नियमानसार तल्ला थपको स्वीकृती लिई सम्पन्न/प्रमाणित लिई सकेको तर सो भन्दा माथि पनि पून: तल्ला थप गरेको सम्बन्धमा पनि नक्शा प्रमाणित दस्तुर लिई नक्शा प्रमाणित गरि दिने निर्णय गरियो ।
- नेपालगंज उप महानगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै बखतमा नक्शा सम्पन्न वा प्रमाणित प्रमाणपत्र लिई सकेको तर सडक विस्तार गर्नै क्रममा तोडफोड गर्दा फेर बदल हुन गएका घरहरुको हकमा १००० व.फि.सम्म रु.१०००।- र सो भन्दा माथि भए रु.३०००। संशोधन शुल्क मात्र लिई नक्शा संशोधन गरिदिने निर्णय गरियो ।

- नक्सादर्ता गर्दा खुलाईएको प्रयोजनमा पछि फेर वदलगर्नु परेमा माथि उल्लेखित वमोजिम थप दस्तुर तिरी पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । स्वीकृति नलिई फेरवदल गरेमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईने छैन ।

**नक्शा संशोधन दस्तुर**

१. १००० वर्ग फिटसम्म रु ३०००।–
२. १००० वर्ग फिट भन्दा माथि भए रु ५०००।–
३. नक्शाफाराम दस्तुर रु १०००।–
४. सडक सुधार शुल्क नयांलाई रु १०००।–
५. बनिसकेको घरमा सडक सुधार शुल्क रु.३,०००।
६. कम्पाउण्डवाल दस्तुर प्रति रनिंग फिटमा रु ५।–वा रु १०००।–
७. म्यादथप दस्तुर लागेको दस्तुरको ५ प्रतिशत (थप २ वर्षका लागि)
८. नामसारी दस्तुर लाग्ने दस्तुरको ३३ प्रतिशत अर्थात एक तिहाई

- यस उपमहानगरपालीकामा आउनु पूर्व साविक गाविसमा नक्सा प्रमाणित भईसकेको छ भने हालको प्रकृया पुर्‍याई लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत छुट गरी नक्सा प्रमाणित गरिदिने ।
- यस नेपालगंज उपमहानगरपालिकाबाट साविकमा प्लिन्थ लेभल इजाजत लिइ डि.पि.सि. गरी सो भन्दामाथि निर्माणधिन अवस्थामा रही निर्माण सम्पन्न नभएको तर स्वीकृतीपत्रको चार वर्ष म्यादपनि गै सकेको अवस्थामा म्याद समाप्त भै सकेको कारणले लाग्ने दस्तुर र बाटो मर्मत दस्तुर तीन हजार लिई (साविकमा तिरेको दस्तुर नघटाई) पाई सकेको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न सुपरस्टक्चर इजाजत प्रदान गर्ने र निर्माण भै सकेकालाइ प्रमाणित गर्ने तथा स्वीकृती नलिई डि.पि.सि. गरी सकेकोलाई लागु नहुने ।
- यस नेपालगंज उपमहानगरपालिकाबाट साविकमा सुपर स्टक्चर सम्मको इजाजत लिईसकेको तर चार वर्ष म्यादभित्र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको हकमा हाल नयां लाग्ने दस्तुरको५० प्रतिशत तथा बाटो मर्मत एक हजार लिई पेश भएको नक्शालाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने ।

**९.सिफारिश दस्तुर :**

| सि.न | शिर्षक | आ.व.२०७९।८०मा रु. | आ.व.२०८०।८१मा रु. |
|---|---|---|---|
| १. | घरबाटो नभएको | ३००.०० | ३००.०० |
| २. | बाटो भएको घर नभएको | ५००.०० | ५००.०० |
| ३. | घर भएको कच्ची बाटो ग्रेभलिङ्ग भएको | ७५०.०० | ७५०.०० |
| ४. | पिच बाटो भएको घर नभएको लाई | १,०००.०० | १,०००.०० |
| ५. | पिच बाटो भएको घर भएको लाई | २,०००.०० | २,०००.०० |
| ६. | बर्ग मिटरमा नयां लालपुर्जा लिने प्रयोजनका लागी घर नभएका लाई | ५००.०० | ५००.०० |
| ७. | बर्ग मिटरमा नयां लालपुर्जा लिने प्रयोजनका लागी घर भएका लाई | १,०००.०० | १,०००.०० |
| ८. | घरवास मिन्हाको भोग चलनको सिफारीस | १०००.०० | १०००.०० |
| ९. | घरवास मिन्हाको विक्री वितरण प्रयोजनको लागि सिफारीस | १५००.०० | १५००.०० |
| १०. | थ्रि फेज लाइन बिद्युत घरायसी प्रयोजन | | ५०००। |
| ११. | औद्योगिक सिफारिसमा(घरेलुमा जाने सिफारिस समेत) | ४,०००.०० | ४,०००.०० |
| १२. | औद्योगिक प्रयोजनको १५ हर्ष पावर सम्मको सिफारीसमा | ८,०००.०० | ८,०००.०० |
| १३. | औद्योगिक प्रयोजनको १५ हर्षपावर भन्दा माथी जतिसुकै भएकोमा सिफारीस दस्तुर | १०,०००.०० | १०,०००.०० |
| १४. | विदेश भ्रमण तथा अध्ययन प्रयोजनका लागि गर्ने सम्पती प्रमाणित | सयकडा ५ पैसा | सयकडा ५ पैसा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५. | अंग्रजीमा अन्य सिफारीस | ३००.०० | ३००.०० |
| १६. | नाता प्रमाणित दस्तुर | १००.०० | १००.०० |
| १७. | पेन्सन पट्टा सिफारीस | १००.०० | १००.०० |
| १८. | नागरिकता सिफारीमा | निशुल्क | निशुल्क |
| १९. | विद्युत टेलिफोनमा सिफारीस घरायसी प्रयोजन | ३५०.०० | ५००.०० |
| २०. | अमिनद्धारा चारकिल्ला जग्गा छुट्याउने कार्य प्रमाणीत गरे बापत प्रति कित्ता | १,५००.०० | १,५००.०० |
| २१. | उ.म.न.पा क्षेत्र बाट अन्य स्थानमा लैजाने खसि,बोका,भेडा,घोडा खच्चड,गधाप्रति जिउ सिफारीस दस्तुर | १००.०० | १००.०० |
| २२. | मोवाईल टेलिफोन टावर | १०,०००.०० | १०,०००.०० |
| २३. | डिजिटल विज्ञापन सिफारिस प्रतिगोटा | ५,०००.०० | ५,०००.०० |
| २४. | क्यासिनो सिफारिस | २५,०००.०० | २५,०००.०० |
| २५. | खानेपानी उद्योग सिफारीसमा गर्दा दस्तुर | १०,०००.०० | १०,०००.०० |
| २६. | पिच पि.सी.सी.लि.एवं,डब्लु.वि.एम सडकको लागि | २,०००.०० | २,०००.०० |
| २७. | ग्रेभलिङ्ग र इटा सोलिङका लागि | १,०००.०० | १,०००.०० |
| २८. | माटोको सडकको लागि | ५००.०० | ५००.०० |
| २९. | अन्य सिफारीस | १००.०० | १००.०० |
| ३०. | मिलापत्र दस्तुर | १००.०० | १००.०० |
| ३१. | घरनक्सा पास सम्वन्धि सिफारिश | १००.०० | १००.०० |
| ३२. | पूर्व प्राथमिक र मन्टेश्वरीलाई सिफारिश | ५,०००.०० | ५,०००.०० |
| ३३. | आधारभूत विद्यालयको सिफारिश (कक्षा १ देखि ८ सम्म) | १५,०००.०० | १५,०००.०० |
| ३४. | माध्यमिक विद्यालयको सिफारिश (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) | २५,०००.०० | २५,०००.०० |
| ३५. | संस्था दर्ता सिफारिश दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० |
| ३६. | संस्था नविकरण तथा सिफारिश दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० |
| ३७. | धार्मिक संघसंस्था दर्ता तथा सिफारिश दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० |
| ३८. | खानेपानी पाईप जडान गर्दा सिफारिश दस्तुर | २०००.०० | २,०००.०० |
| ३९. | सामुदायिक एफ.एम.सूचिकृत वा सिफारिश | ५००.०० | ५००.०० |
| ४०. | पेट्रोलपम्प सिफारिश | ५,०००.०० | ५,०००.०० |
| ४१. | सिसि क्यामेरा जडानका लागि सिफारिश | १,०००.०० | १,०००.०० |
| ४२ | पुर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिस | | ५००.०० |
| ४३ | बणिज्यमा सिफारिस मुचुल्का सहितको ठूलो कारोबार | | ४०००.०० |
| ४४ | बणिज्यमा सिफारिस मुचुल्का नहुनेको साधारण कारोबार | | ५००.०० |
| ४५ | लालपुर्जा हराएको प्रतिलिपी लिनको प्रयोजनको लागी सिफारिस | | २००.०० |
| ४६ | व्यसाय/कारोबार बन्दको सिफारिस | | १००.०० |
| ४७ | कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागी घरायसी अंशवण्डा प्रयोजनको लागी प्रति पटक दस्तुर | | ५००.०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४८ | कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागी अन्य प्रयोजनको लागी प्रति पटक दस्तुर | | १५००.०० |
| **वर्गिकरण** :माथिको सि.न.१०,११,१२ र १३ को सम्बन्धमा ठाउँ सारी गर्दा पनि सोही अनुसार सिफारीस दस्तुर लाग्ने छ | | | |

**१०.दाखिल खारेज नामसारी(बहाल बिटौरी जग्गाको हकमा मात्र) :**

क) रजिष्ट्रेशन र बकस पत्र भएको दा.खा.मा मुल्याकंनको १ प्रतिशत

ख) अंश वण्डा भै दा.ख.मा रु.५००।-

ग)मृत्युबाट अपुताली कायम हुँदा मुल्याकंनको १०प्रतिशत र सिफारीसमा समेत १० प्रतिशत लाग्ने छ ।

घ)मृत्युबाट हक कायम भै नामसारीमा रु.१५०।-

**११.अन्यः**

- **सेवा शुल्क :** उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा बापत सेवा शुल्कको रुपमा सम्पत्तीकरको दश प्रतिशत र सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत ५ प्रतिशत समेत गरी सम्पत्ती करमा १५ प्रतिशत थप गरी सेवा शुल्क लिईने छ ।
- **संस्थागत मन्टेश्वरी, विद्यालय तथा गुठी को अनुमति, कक्षा थप तथा विषय थप शुल्क :**

| सि.न. | विद्यालय/मन्टेश्वरी/गुठी | नयाँ विद्यालय अनुमती शुल्क | कक्षा थपशुल्क | विषय थप शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| १. | पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा मन्टेश्वरी | रु.२५,०००।- | रु.२०,०००।- | - |
| २. | आधारभुत (कक्षा १ देखि ८ सम्म) | - | रु.३०,०००।- | - |
| ३. | माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) | - | रु.४०,०००।- | रु.२५,०००।- |
| ४. | गुठी | रु.५०,०००।- | - | - |

- **सडक व्यवस्थापन सम्वन्धि शुल्क तथा जरिवाना** :सडकमा अव्यवस्थित तरिकाले विभिन्न सामाग्रीहरुले सडक आवागमनमा अवरोध पुर्याईरहेको हुदाँ सो व्यवस्थित गर्नको लागि देहाय वमोजिम गर्ने :

  १.सडक आवागमनमा अवरोध नहुने गरी बढिमा सात दिनसम्म सामाग्री राख्नुपर्ने भएमा सम्वन्धित वडाकार्यालयको अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने,

  २.सात दिनभन्दा बढि दश दिनसम्म सामाग्री राखेको पाईएमा दैनिक रु.दुई सय पचासका दरले जरिवाना लगाउने,

  ३.दशदिन भन्दा बढि सामाग्री राखेको पाईएमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जफत गर्ने ।
- **वडावाट कपाली तमसुक प्रमाणित गर्ने शुल्क :**

  १. रु. ५० हजार देखि ५ लाखसम्म रु. १००।-

  २. रु. ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म रु.२००।-

  ३. रु. १० लाख भन्दा माथी रु. ५००।-

## अनुसूची १३

### पर्यटनशुल्क

- उपमहानगरपालिकाले स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क लगायत अन्य पर्यटन सम्बन्धी शुल्क लगाउने छ ।

## अनुसूची १४

### नीतिहरु :

१. सम्पत्तीकर संकलनमा देहाय वमोजिम निकायहरुको सम्पत्ती कर लगाईनेछैन :-

- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
- सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

- गुठीको स्वामित्वमा भएको घर र घरजग्गा,
- मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,
- मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,
- धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गा,
- खानेपानी संकलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,
- राजदूतावास, बाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा ।

२. सम्पति कर बृद्धिका लागी नगर क्षेत्रका बिभिन्न निजी भवनमा भौतिक संरचनाहरुको क्षेत्रफल एकिन गर्न स्थलगत प्राबिधिक टोली खटाई सो अनुसारको सम्पतिकरको मुल्याङकन गरी सम्पतिकर परिमार्जन गरि संकलन गरिनेछ ।

३.नेपालगञ्ज औद्योगिक विकास क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरुबाट व्यवसायकर संकलनका लागि सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गरी करको दायरामा ल्याईनेछ ।

४. व्यवसायकर बृद्धि का लागि निम्न अनुसार को प्रकिया अबलम्बन गरिनेछ :-

- नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण ब्यवसायीको लगत संकलन गरी दर्ता,नविकरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- करदाताले बुझाउनु पर्ने कर नबुझाए सम्म उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा रोक्का राख्न सकिनेछ ।
- प्रत्येक करदाता लाई समयमै ब्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण गर्न र कर दाखिला गर्न विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु मार्फत कर बुझाउन सुचना जारी गरिनेछ ।
- नियमानुसार कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको करदाताहरुको नाम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
- नियमानुसार तोकिएको समयमा दर्ता, नविकरण नगर्ने करदाता लाई नियमानुसार कारबाहि गरिनेछ ।
- राजश्व शाखामा भौतिक स्रोत साधन र प्रयाप्त जनशक्तिको ब्यवस्थापन गरिनेछ ।

५.उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको स्थान भन्दा अन्यत्र सडक पेटी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनैपसल ,खुद्रा पसल ,मासु पसल सब्जी मण्डी, फलफुल पसल राखि ब्यापार ब्यवसाय गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने र उठेको रकम उपमहानगरपालिकाको राजश्व खातामा दाखिला गरिनेछ । मासु पसल ,सब्जीमंडी, फलफुल पसल वा पार्किङ्ग स्थल आदिको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

६.तोकिएको स्थान भन्दा अन्यत्र सवारी साधन पार्किङ्ग गरी राखेमा त्यस्तो सवारी साधन उठाई जरिवाना लगाइनेछ ।

७. उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवन, खालि जग्गा,तालतलैया, पोखरी, पार्क जस्ता क्षेत्रलाई राजश्व परामर्श समितिबाट निति बनाइ कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरिनेछ :

८.स्थानिय तहले राजश्व कर दस्तुर शुल्कका सम्बन्धमा राम्रा तथा उदाहरणीय कार्य गरेका अन्य स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिका पदाधिकारीहरुबाट अध्ययन अवलोकन गरी करका सम्वन्धमा जानकारी लिईनेछ ।

९.अनुसूचि ४ मा समावेशनभएका सेवा, व्यवसाययको कारोबार र स्तर हेरी वार्षिक १,०००।- देखि १,२५,०००।- सम्म व्यवशाय कर लिईनेछ ।

१०.राजश्व सम्बन्धी नगर सभा बाट दररेट निर्धारण नभएका वा कार्यालयलाई राजश्व संचालनमा द्धिविधा पर्न गएमा राजश्व परामर्श समितिको बैठक बाट तत्काल सिफारिस गराई नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी समाधान गर्न पाउने स्वीकृतीनगर सभाबाटनगरकार्यपालिका बैठकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनेछ ।

११.आन्तरिक राजश्व बृद्धिका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय,उद्योग बाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बित्तिय संस्थाहरुलाई दर्ता, नबिकरण र खारेजी गर्दा यस कार्यालयको सिफारिश वाकर चुक्ता प्रमाणपत्र भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिनेछ । साथै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिनेक्रममा विवरण पेश गर्ने करदाताले झुठो विवरण पेश गरेको पत्ता लागेमा लाग्ने करको शतप्रतिशत जरिवाना लगाई असुलउपर गरिनेछ ।

१२.नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र बहालकर संकलन गर्दा बिभिन्न स्थानहरुको मापदण्ड तयार गरी बहालको दररेट सूचि तयार गरिनेछ र सो अनुसार असुल गरिनेछ ।

१३. व्यवसायिक प्रयोजनको लागि नभई अन्य प्रयोजनको लागि वहाल दिएको भए वहालकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिईनेछ ।

१४. नेपालको संबिधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, बित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा सवारी साधनकर,मनोरञ्जनकर, बिज्ञापनकर संकलन कार्य प्रदेश कानून बमोजिम संकलन गरिनेछ ।

१५.यस नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रहि आन्तरिक स्रोत के कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ , करको दायरा बढाई सकभर करलाई बढि भन्दा बढि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा आन्तरिक स्रोत संचालन सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन तयार गरि सो अनुसार स्रोत संकलनलाई बढावा दिइनेछ सोको लागि कार्यदल बनाई सो कार्यहरु गरिनेछ ।

१६. आन्तरिक स्रोत संकलनलाई बढावा दिन करका सम्बन्धमा व्यापक रुपमा जनचेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिने, निजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, ब्यापारमा प्रबर्द्धन र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर संकलन लाई जोड दिने र वडा समितिको कार्यालय मार्फत कर संकलनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

१७.यस उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र उद्योग, ब्यापार गर्ने सबै प्रकार का ब्यवसायलाई दर्ता गरी कर दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुले यस कार्यालयमा दर्ता एवं नविकरण अनिवार्य गरी नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाईनेछ ,साथै नियमानुसार दर्ता एवं नविकरण नगरेमा ब्यापार, ब्यवसाय रोक्का गर्ने नीति समेत अवलम्बन गरिनेछ ।

१८.यस उपमहानगरपालिकामा हाल सम्म कर नतिर्ने कर बक्यौता भएका ब्यक्तिहरुको नाम राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यम बाट सार्वजनिक गरी कर असुलीलाई तिब्रता दिईनेछ । साथै यस्ता ब्यक्ति बाट कर बक्यौता असुली गर्ने, मालपोत कार्यालय मार्फत ब्यक्तिको चल अचल सम्पति रोक्का राख्न पत्राचार गर्ने र यस कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सुबिधा समेत रोक्का राख्ने र अन्य कार्यालय मार्फत त्यस्ता कार्यालयबाट प्रदान हुन सेवा सुबिधा रोक्का राख्ने सम्मको कारवाहि प्रकिया अगाडी बढाईनेछ ।

१९. मानव स्वास्थ्य र बातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायलाई निरुत्साहित गरिनेछ, साथै अस्पताल, विद्यालय, तथा धार्मिक संघसंस्थाको १०० मिटर नजिक सूर्ति तथा मदिराजन्य विक्रीवितरण कार्यलाई निषेध गरिनेछ ।

२०. कानुन बमोजिम संघ र प्रदेश तहबाट आउनु पर्ने राजश्व बाडफाड रोयल्टी रकम एवम् समपुरक अनुदान र बिषेश अनुदान प्राप्तीका लागि बिशेष पहल गरिनेछ ।

२१. आर्थिक बर्ष २०८०/८१मा आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि वडागत बजेट सिलिङ तोक्दा १५ प्रतिशत भार राजश्व संकलनलाई लिईनेछ ।

२२. व्यवसायकर बाट संकलन भएको रकम नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायत अन्य निजी संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२३. वैज्ञानिक तरिकाले करको दर परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य र समन्वय गरी करदाता मैत्री कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२४. राजश्व वृद्धि गर्नको लागि वडा कार्यालयहरु र उद्योग वाणिज्य संघ लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा घरधुरी र व्यवसायको लगत संकलन कार्य प्रभावकारी वनाईनेछ ।

२५. बाटो नभएका र शुद्ध खेतियोग्य जमिनको बैज्ञानिक ढंगबाट वर्गिकरण गरी करको दरमा परिमार्जन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२६. नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संकलन गर्ने विभिन्न प्रकारका करहरुलाई वैज्ञानिक तवरबाट संकलन गर्ने नीति सँगै सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो पारि कर संकलन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

२७. वातावरण अनुकुलनमा सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय तथा महिला संचालक भएको उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा करको दरमा विशेष छुट दिई यस्ता उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

२८. लघु,घरेलु,वातावरण अनुकुलनमा सहयोग पुऱ्याउने खालका उद्योग व्यवसाय तथा महिला संचालक भएको उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ब्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ३० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

२९. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको क्षमता विकास तथा ब्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न अपाङ्गता भएका ब्यक्ति संचालक भएको उद्योगी ब्यवसायीलाई ब्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

३०. स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ब्यवसायीहरुले नयाँ ब्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा ब्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

३१.राजस्व अभिवृद्धिका लागि अनुगमन र निरिक्षण कार्यलाई तिव्रता दिईनेछ । अनुगमनको शिलशिलामा ब्यवसायीले ब्यवसाय दर्ता नगरि तथा ब्यवसाय नविकरण नगरी ब्यवसाय सञ्चालन गरेको पाईएमा निश्चित जरिवाना तोकी ब्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्न लगाइनेछ ।

३२. यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन संरचना निमार्णका लागि अनुमति लिई तोकिएको समयमा विविध कारणवश निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका घरधनी एंव नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरी संरचना निर्माण गरिएका

घरधनीहरुलाई तोकिएको मापदण्ड भित्र पर्ने भए प्राविधिक कर्मचारिबाट स्थलगत अवलोकन समेत गरि एक पटकका लागि नक्सा प्रमाणित गर्न लाग्ने दस्तुरमा विशेष छुट दिईने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

३३. करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वच्छिक रुपमा सहभागी गराउदै समग्र राजस्व प्रशासनलाई करदाता मैत्री बनाईनेछ । जसको लागि सबै वडा कार्यालयहरुमा सफ्टवयेर प्रणालीको विस्तार गरी अनलाईन मार्फत वडा कार्यालयहरुबाटै सम्पूर्ण कर,दस्तुर संकलन गर्ने वातारणको सिर्जना गरिनेछ । Sutra मा थप भएको Revenue Module लाई लागु गरि क्रमशः कर संकलन कार्यको थालनी गरिनेछ ।

३४.सबै करदाताहरु कार्यालयमा आई कर,शूल्क बुझाउन नसक्ने विद्यमान अवस्थाको मध्यनजर गरि र करदाताको सुविधाको लागि E-paymentsystem लागु गरि राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाईनेछ ।

३५.राजस्वको तथ्याङ्कहरुलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तवरले राख्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।

३६.शहरलाई नै कुरुप पार्ने गरि अब्यवस्थित तरिकाले राखिएका विज्ञापन सामाग्रीहरु(होडिङ्ग बोर्ड आदी) लाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र सोको विकल्पमा Digital Board लगाइनेछ ।

३७. आन्तरिक आय बुद्धि गर्न र ब्यवसायीहरुलाई सहुलियतको लागि यस उप–महानगरपालिकाबाट आब्हान हुने आय ठेक्का रकम वार्षिक एकमुष्ठ बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

३८. प्रत्येक वडा कार्यालयहरुबाट समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरुलाइ दर्ता एवं नविकरण गर्ने वातावरण सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३९. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यवसाय सञ्चालन गरी यस कार्यालयमा दर्ता तथा नियमित नविकरण नगरेको व्यवसायीहरु सँग कुनैपनि निर्माणकार्य, खरीदकार्य तथा परामर्श कार्य गरिनेछैन ।

४०. नियमितरुपमा यस कार्यालयमा कर बुझाउने व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४१. नयाँ घरनक्सा पास गर्दा विद्यमान प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्दै नक्सापास प्रक्रियामा सम्वन्धित वडाको सिफारिशलाई अनिवार्य गरिनेछ ।